न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः— अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :— 219/2025
जी.सी.एम.एस. नम्बर :— 2025/569

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
गोबरराम गोदपुत्र वनाराम जाति मेघवाल निवासी साजियाली मूलराज क्यार तहसील पाटोदी जिला बालोतरा		1.राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार पाटोदी 2.आम्वाराम पुत्र गिरधारीराम 3.कबीराराम पुत्र गिरधारीराम 4.रूगाराम पुत्र गिरधारीराम जाति मेघवाल निवासी साजियाली मूलराज क्यार तहसील पाटोदी व जिला बालोतरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः—

1.श्री तखतसिंह नामा अधिवक्ता वादी
2.प्रतिवादी एकतरफा

निर्णय

दिनांक 30.01.2026

1.संक्षिप्त में वाद—पत्र के सारवान तथ्य इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के हकपूर्वाधिकारी गिरधारीराम व वनाराम की पुश्तैनी खातेदारी भूमि मूल खसरा संख्या 39 रकबा 87.00 बीघा भूमि अवस्थित थी। जिसमें 1/2 हिस्सा गिरधारीराम व 1/2 हिस्सा वनाराम का था तथा तदनुसार ही मौके पर काबिज होकर आ रहे थे। वनाराम अविवाहित होने के कारण सामाजिक रिति रिवाज की परम्परा अपनाकर वादी को गोद लिया था। वनाराम अनपढ होने के कारण वादी के पक्ष में गोदनामा पंजीयन नही करवा सका। वादी के वादग्रस्त भूमि को छोड़ते हुए अन्य सभी दस्तावेजात में वादी की वल्दियत वनाराम दर्ज है,लेकिन वादग्रस्त भूमि में वल्दियत गलत दर्ज होने के कारण वादी को क्षति हो रही है। अतः वादी द्वारा ग्राम साजियाली मूलराज क्यार द्वितिय की खसरा संख्या 39 रकबा 7.0415 हैक्टयर भूमि में वादी का नाम गोबरराम पुत्र गिरधारीराम के स्थान पर गोबरराम गोदपुत्र वनाराम दुरूस्त करवाने हेतु वाद पत्र पेश किया गया हैं।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

2.वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया,प्रतिवादी के सम्मन तामील शुदा प्राप्त हुए। प्रतिवादी संख्या 2 से 4 की ओर से वादी के वादपत्र को स्वीकार करते हुए इकबाली जवाब पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 बावजूद तामीली के उपस्थित नहीं होने के कारण एकतरफा कार्यवाही की गई। प्रतिवादी द्वारा इकबाली जवाब पेश करने के बाद न्यायालय हाजा में उपस्थित नही होने के कारण उनके विरूद्व भी एकतरफा कार्यवाही पारित की गई।

3. प्रतिवादी का इकबाली जवाब पेश होने के कारण विवाद का बिन्दू निहित नहीं होने के कारण तनकीयात कायम नहीं की गई। वादी के वादपत्र का अनुतोष ही तनकीयात मानी गई।

4.वादी साक्ष्य में स्वंय वादी द्वारा लिखित बयानात स्वरूप शपथ पत्र पेश किया गया। बयानात के समर्थन में प्रदर्श 1–वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी की प्रति,प्रदर्श 2–खसरा संख्या 404/39 की जमाबंदी प्रति,प्रदर्श 3–ग्राम पंचायत साजियाली पदमसिंह का प्रमाण पत्र क्रंमाक 078/2025 की प्रति,प्रदर्श 4–गोबरराम का आधार कार्ड प्रति,प्रदर्श 5–आयकर विभाग द्वारा जारी पेनकार्ड प्रति व प्रदर्श 6–ग्राम साजियाली मूलराज क्यार की जमाबंदी संवत 2045–2048 की प्रमाणित प्रति प्रदर्शित करवाए गए।

5.हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी। वक्त बहस वादी अधिवक्ता नें वादपत्र के तथ्यो को दोहराते हुए बहस मे निवेदन किया कि वादी व प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के हकपूर्वाधिकारी गिरधारीराम व वनाराम की पुश्तैनी खातेदारी भूमि मूल खसरा संख्या 39 रकबा 87.00 बीघा भूमि अवस्थित थी। जिसमें 1/2 हिस्सा गिरधारीराम व 1/2 हिस्सा वनाराम का था,तदनुसार ही मौके पर काबिज होकर आ रहे थे। वनाराम अविवाहित होने के कारण सामाजिक रिति रिवाज की परम्परा अपनाकर वादी को गोद लिया था। वादी वनाराम की सेवा चाकरी करते हुए उसके साथ ही जीवनयापन करने लगा तथा वनाराम के हिस्सा 1/2 भूमि पर ही काबिज होकर काश्त करने लगा था। वनाराम गांव का व्यक्ति व कानूनी जानकारी के अभाव के कारण वादी के पक्ष में गोदनामा पंजीयन नही करवा सका,लेकिन सामाजिक रिति–रिवाज की रस्मो को पूरी ही वादी को गोद लिया था तथा वादी को उसके 1/2 हिस्सा भूमि वादी के पक्ष में बक्सीस करवाए दी गई थी,लेकिन बक्सीसनामा में भी अज्ञानता की वजह से वादी की वल्दियत गोदपुत्र वनाराम के स्थान पर गिरधरीराम दर्ज हो गए। जिसके कारण वादी को परेशानियो का सामना करना पड़ रहा है,जबकि वादी के अन्य सरकारी दस्तावेजात में गोबरराम पुत्र वनाराम दर्ज है,लेकिन वादग्रस्त भूमि में अशुद्व वल्दियत दर्ज होने के कारण किसी भी सरकारी योजनाओं का फायदा नही मिल रहा है। अपनी बहस को जारी

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

रखते हुए आगे ओर निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 2 से 4 की ओर से भी वादी के वादपत्र को स्वीकार करने में सहमति दी गई है तथा दस्तावेजी साक्ष्य सबूतो से भी साबित हुआ है कि वादग्रस्त भूमि में वादी की वल्दियत गलत दर्ज हो रखी है,जो कि वादी का वाद माफिक अनुतोष स्वीकार किया जावे।

6. हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस को ध्यानपूर्वक सुना और उस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड,दस्तावेजात एवं बयानात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा सुसंगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत बहस कथनों/तथ्यों एवं प्रदर्शित दस्तावेजात को समाहित करते हुए प्रकरण का निस्तारण किया जा रहा है। जिसमें पाया कि ग्राम साजियाली मूलराज क्यार द्वितिय तहसील पाटोदी की खेत खसरा संख्या 39 क्षेत्रफल 7.0415 हैक्टयर भूमि गोबरराम पुत्र गिरधारीराम हिस्सा–पूर्ण जाति मेघवाल सा.देह खातेदार के नाम दर्ज है तथा इसी ग्राम की खसरा संख्या 404/39 क्षेत्रफल 7.0415 हैक्टयर भूमि प्रतिवादी संख्या 2 से 4 की सहखातेदारी में दर्ज है,जो कि पत्रावली के संलग्न प्रदर्श 1 व 2 वर्तमान जमाबंदी अवलोकन से स्पष्ट है। वादी की ओर से वादपत्र में मुख्य अनुतोष चाहा कि वादी वनाराम के जीवनकाल में ही सामाजिक रिति रिवाज की रस्में पूरी कर वनाराम के गोद चला गया था,लेकिन कानूनी जानकारी के अभाव के कारण गोदनामा पंजीयन नही हो पाया और वनाराम के 1/2 हिस्सा भूमि वादी के पक्ष में बक्सीस करवा दी गई थी,लेकिन उक्त बक्सीसनामा में भी वादी की वल्दियत प्राकृतिक पिता गिरधारीराम दर्ज होने के कारण वादी का वादग्रस्त भूमि में वल्दियत गिरधारीराम दर्ज हुई,जबकि अन्य सरकारी दस्तोवजात में वल्दियत वनाराम दर्ज है। अतः वादग्रस्त भूमि में भी वादी की वल्दियत गोदपुत्र वनाराम दर्ज की जावे। इस कथन के समर्थन में प्रदर्श 6–वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी संवत 2045–2048 तक खाता संख्या 15 खसरा संख्या 39 रकबा 87.00 बीघा भूमि गिरधारी वना पि.लाला कौम भाम्बी सा.देह खातेदार के नाम दर्ज है। इससे स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी है तथा गिरधारी व वनाराम का आधा आधा हिस्सा निहित था तथा वर्तमान रिकॉर्ड अनुसार भी वादी व प्रतिवादी संख्या 2 से 4 का आधा आधा हिस्सा दर्ज है। प्रशासक ग्राम पंचायत साजियाली पदमसिंह ने पत्र क्रमांक 078/2025 दिनांक 30.9.2025 के द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया है कि वादी वनाराम का गोदपुत्र है। वादी के अन्य दस्तावेजात भी गोबरराम पुत्र वनाराम के नाम दर्ज है,लेकिन वादग्रस्त भूमि में वादी की वल्दियत गिरधारीराम गलत दर्ज हो रखी है,जो कि प्रदर्श 3 अवलोकन से स्पष्ट है। इसी प्रकार प्रदर्श 4–आधार कार्ड प्रति में गोबरराम पुत्र वनाराम दर्ज है। प्रदर्श 5ए–आयकर विभाग द्वारा जारी पेनकार्ड में गोबरराम पुत्र वनाराम दर्ज है। इससे प्रतीत होता है कि वादग्रस्त भूमि में वादी की वल्दियत गलत दर्ज हो रखी है।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

ई श्रम कार्ड,जन आधार कार्ड मोहनीदेवी व दी बाड़मेर सैन्टल को–आफरपेटिव लि.शाखा बालोतरा द्वारा जारी बैंक डायरी छायाप्रति में वादी गोबरराम पुत्र वनाराम दर्ज है। इसके अलावा प्रतिवादी संख्या 2 से 4 जो कि वादी के सगे भाई है,ने अपने जवाब में स्वीकार किया है कि वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी है। वनाराम ने अपने जीवनकाल में वादी को छोटी उम्र में ही सामाजिक रिति–रिवाज की परम्परा को अपनाते हुए गोद ले लिया था,लेकिन कानूनी जानकारी के अभाव के कारण गोदनामा पंजीयन नही हो पाया था,लेकिन वनाराम के 1/2 हिस्सा की भूमि वादी को बक्सीस कर दी गई थी,लेकिन तत्समय भी वादी की वल्दियत गोदपुत्र वनाराम के स्थान पर प्राकृतिक पिता गिरधारीराम नाम गलत दर्ज हो गया था,लेकिन वादी वनाराम का ही गोदपुत्र है तथा उसका भी मौके पर अपने हिस्सेनुसार कब्जा काश्त चला आ रहा है। इस प्रकार यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि वादी वनाराम के गोद चले जाने के कारण ही वनाराम का 1/2 हिस्सा भूमि वादी को प्राप्त हुए है। जिसे वादी के सगे भाई प्रतिवादी संख्या 2 से 4 ने सही होना स्वीकार किया है,इसके अलावा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर भी न्यायालय हाजा का अभिमत है कि वादी वनाराम का गोदपुत्र है। उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है कि वादी का वाद स्वीकार योग्य है।

निर्णयः

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद वादी अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली भांति साबित होने एवं सारवान होने के कारण वादी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम साजियाली मूलराज क्यार 11 तहसील पाटोदी की खेत खसरा संख्या 39 क्षेत्रफल 7.0415 हैक्टयर भूमि के राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) में अशुद्ध प्रविष्टि गोबरराम पुत्र गिरधारीराम के स्थान पर गोबरराम गोदपुत्र वनाराम दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार पाटोदी को आदेशित किया जाता है कि तद्नुसार राजस्व रेकर्ड में अमल–दरामद किया जाना सुनिश्चित करे। डिक्री पर्चा जारी हों। पक्षकारान अपना–अपना व्यय वहन करें। पत्रावली इसी कदर निर्णीत होकर संख्या से एक कम होकर दाखिले दफ्तर हों।

(अशोक कुमार) 30/01/2026
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 30.01.2026 को लिखा जाकर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

30/01/2026
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

डिक्री–पर्चा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः– अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :– 219/2025
जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025/569

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
गोबरराम गोदपुत्र वनाराम जाति मेघवाल निवासी साजियाली मूलराज क्यार तहसील पाटोदी जिला बालोतरा		1.राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार पाटोदी 2.आम्बाराम पुत्र गिरधारीराम 3.कबीराराम पुत्र गिरधारीराम 4.रूगाराम पुत्र गिरधारीराम जाति मेघवाल निवासी साजियाली मूलराज क्यार तहसील पाटोदी व जिला बालोतरा

राजस्व वाद बाबतः–88 आर.टी.एक्ट
मुकदमा नम्बर 219/2025
निर्णय दिनांक :–30.1.2026

वादी की ओर से श्री तखतसिंह नामा अधिवक्ता की उपस्थिति व प्रतिवादी एकतरफा इस वाद में आज तारीख 30.1.2026 को श्री अशोक कुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर,निर्णय किया जाता है और **डिक्री दी जाती है किः**–वाद वादी अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली भांति साबित होने एवं सारवान होने के कारण वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम साजियाली मूलराज क्यार 11 तहसील पाटोदी की खेत खसरा संख्या 39 क्षेत्रफल 7.0415 हैक्टयर भूमि के राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) में अशुद्व प्रविष्टि गोबरराम पुत्र गिरधारीराम के स्थान पर गोबरराम गोदपुत्र वनाराम दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार पाटोदी को आदेशित किया जाता है कि तद्नुसार राजस्व रेकर्ड में अमल–दरामद किया जाना सुनिश्चित करे।। पक्षकारान अपना–अपना व्यय वहन करें।

यह आज तारीख 30.1.2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

30/01/2026

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

वाद के खर्चे

वादीगण	रूपया	प्रतिवादीगण	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4...........रूपये पर प्लीडर की फीस 5.साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6.कमिश्नर की फीस 7.आदेशिका की तामिल	–	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 2.अर्जी के लिए स्टाम्प 3.प्लीडर की फीस 4.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय 5.आदेशिका की तामील 6.कमिश्नर की फीस	–––––
जोड़	–	जोड़	–––––

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

30/01/2020

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा